



जोधपुर नगर निगम, दक्षिण



शारीरिक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर

अनुक्रमांक-14483

दिनांक-2/12/2020
I.B.T (B) 65 / 2020-21

श्री. अजय सिंह परिहार पुत्र श्री नरपत सिंह परिहार
भूखण्ड सं. 576, 10वीं सी रोड, सारदारपुर
जोधपुर।

:::- भवन निर्माण आदेश :::-

विषय :- आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।

प्रमाण :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2020।

उपर्युक्त विषयवस्तुगत एवं प्रस्तावित मठित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 27.08.2020 की प्रस्ताव संख्या 00 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

स्वीकृति का प्रकार	आवासीय निर्माण
अनुमत निर्माण	बी(पारकिंग)+ जी+1+2 (आंशिक)
कुल	397.22 वर्ग मीटर

1. बालकनी व छज्जे का निर्माण नहीं करेगे।
2. पटौसी की बिल्डिंग लाईन को पारनाए रखेंगे।
3. मानचित्र एवं प्लेट में यदि पड़ुवारी दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेंगे।
4. कालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेगे।
5. स्वामित्व के सबब में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
6. वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
7. पश्चिम में बकाया राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेंगे।
8. भवन में निचलानुसार अग्नि हानन सुव्हा व्यवस्था करनी होगी।
9. दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरित निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृति शून्य मानी जायेगी।
10. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।

11. निर्माण स्थल पर 4 X 4 के बॉर्डर पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण साक्यानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

12. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मेटेरियल सडक पर नहीं डाला जावेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मेटेरियल नू-स्वामी द्वारा सडक पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत मुलवाई का अडल्ट देने के परवाह पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी। भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में तम्ने नजदूर उसका प्रयोग कर सके। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।

14. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्णित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेंगे।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 3,972/- जांच शुल्क- 3,972/- कुल राशि- 7,944/- जरिये रसीद संख्या 9069/5117 दिनांक 15.06.2020. भवन निर्माण शुल्क- 3,500/- बी.एस.यू.पी. शुल्क- 7,367/- मलबा शुल्क- 1,000/- विकास एवं संधारण शुल्क- 35,231/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 11,061/- उपकरण- 65,440/- कुल राशि- 1,43,589/- जरिये रसीद संख्या 9069/9623 दिनांक 20.10.2020 मैटरनेट लेवी- 5,38,633/- जरिये रसीद संख्या 9069/9619 दिनांक 20.10.2020, सुरक्षा व अमानत राशि- 3,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/9625 दिनांक 20.10.2020, वर्षाजल संग्रहण एवं अभिगणन शुल्क- 50,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/9624 दिनांक 20.10.2020, यूटी कर- भुक्तान राशि शुल्क- 50,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/2458 दिनांक 19.11.2020 एवं गृह कर- 18,220/- जरिये रसीद संख्या 9069/2457 दिनांक 19.11.2020 को निगम कोष में जमा करा दिये गये हैं। साथ ही आपको रसीद संख्या 9069/2457 दिनांक 19.11.2020 की प्रतिलिपि के विपरित निर्माण कार्य करने पर आपके विरुद्ध राजस्व आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरित निर्माण कार्य करने पर आपके विरुद्ध राजस्व आदेशित किया जाता है।

नगर पालिका अभिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्राकधान के तहत कार्यवाही की जायेगी। भवन निर्माण के परवासे मलबा सडक पर पाया गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- (असरे दस हजार रुपये) जम्मा किये जायेंगे।

Received
3/12/20
श्री. अजयपुर नगर निगम, दक्षिण